संख्या-21/2016-692/चौदह-4-2016-500(16)/2015

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश,शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 22 मार्च, 2016**

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य वन विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा क्रियान्वित की जा रही केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम योजना (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवमुक्त केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 के पत्र संख्या-पी-688/21-1(एफ0डी0ए0एस0सी0एस0पी0) दिनांक 02.12.2015 एवं पत्र संख्या-पी-1031/21-1 (एफ0डी0ए0एस0सी0एस0पी0) दिनांक 25.02.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्य वन विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा क्रियान्वित की जा रही केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना) के अन्तर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड, भारत सरकार नई दिल्ली की पत्र संख्या- एम.ई.एफ. (एन.ए.ई.बी.)35-27-1/ 2015-बी-।।, अथेन्टिकेशन नं0 एम.ई.एफ.(एन.ए.ई.बी.) 3/2015-16,दिनांक 16-11-2015 द्वारा राज्य वन विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा क्रियान्वित की जा रही केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम योजना (अनुसूचित जाति उप योजना) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 की वार्षिक कार्ययोजना रू0 232.90 लाख (अनुमोदित कार्यो हेतु रू0 209.61 लाख तथा फ्लैक्सी फण्ड हेतु रू0 23.29 लाख सहित) को 50 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 50 प्रतिशत राज्यांश के रूप में अनुमोदित करके अनुमन्य केन्द्रांश रू0 116.46 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रू0 58.23 लाख में विगत वर्ष की अप्रयुक्त केन्द्रीय सहायता रू0 34.43 लाख को समायोजित (पुर्नवैध्) करते हुए अवशेष (रू0 58.23- रू0 34.43 लाख) = रू0 23.80 लाख के सापेक्ष पूर्व में भारत सरकार के पत्र दिनांक 06-08-2015 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 0.00 लाख को कम करते हुए (रू0 23.80 लाख रू0 0.00 लाख) = रू0 23.80 लाख की केन्द्रीय सहायता अवमुक्त कर दी है ।

2- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 02.12.2015 एवं दिनांक 25.02.2016 के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम योजना (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत रू0 43.37 लाख निम्न लेखाशीर्षकों के

2/-

http://chasanadesh.up.nic.in

अन्तर्गत निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखा शीर्षक	**धनराशि (रु0 हजार में)**
अनुदान संख्या-83	
पूंजी लेखा-	
4406-वानिकी एवं वन्यजीवन पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत	
01-वानिकी	
789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
04-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (सी0सी0एल0प्रणाली)	
24-वृहद निर्माण कार्य	4337
42-अन्य व्यय	-
योग-	**4337**

(रू0 तैतालीस लाख सैंतीस हजार मात्र)

1- उक्त धनराशि का व्यय राष्ट्रीय वनीकरण योजना (अनुसूचित जाति उप योजना) अनुमोदित कार्यों तथा फलेक्सी फण्ड हेतु मात्राकृत धनराशि के अन्तर्गत भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र दिनांक 16.11.2015 में विहित दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

2- यह भी उल्लेखनीय है कि फलेक्सी फण्ड हेतु मात्राकृत धनराशि का व्यय वन अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप सं0-4164/14-4-2014-500(51)/2014 दिनांक 09.12.2014 एवं यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप सं0-193/14-4-2015-500(51)/2014 दिनांक 05.02.2015 द्वारा गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एस0एल0एस0सी0) से योजनाओं की स्वीकृति के उपरान्त सुनिश्चित की जायेगी।

3- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/ जाना अपेक्षित हो हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनोंके क्रय के पूर्व शासन के अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा व्यय करते मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 1132/दस-2004-मित-1/2004, दिनांक 07.01.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए0 1191/दस-200-मित-1/2007, दिनांक26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए समस्त वैधानित स्वीकृतियॉ सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा अन्य संबंधित विभागों से यथा-आवश्यक अनुमति/सहमति नियमानुसार प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

5- प्रमुख वन संरक्षक यह सुनिश्श्चित करेंगें कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

3/-

-3-

6- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

7- प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उ0प्र0 समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आंगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन को भी समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी। भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश से कराये जाने वाले भवन आदि के निर्माण कार्यों के विस्तृत आगणन प्राप्त कर उनका सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

8- भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय सहायता के उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय भारत सरकार तथा शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे तथा भारत सरकार को प्रेषित केन्द्रीय सहायता के अनुसार भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता प्राप्त किये जाने हेतु प्रभावी अनुश्रवण किया जाय जिससे केन्द्रीय सहायता वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही प्राप्त हो जाय।

9- स्वीकृत धनराशि का व्यय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0के पत्र सं0-पी- 688/21-1(एफ0डी0ए0एस0सी0एस0पी0) दिनांक 02.12.2015 एवं पत्र संख्या-पी- 1031/21-1(एफ0डी0ए0एस0सी0एस0पी0) दिनांक 25.02.2016 में उलिलखित भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यमदों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

10- उपर्युक्त धनराशि का उपयोग अनुसूचित जाति सब प्लान /ट्राइबल सब प्लान के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार करेंगे।

11- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक,30 मार्च, 2015 में प्रशासनिक विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या-692(1)/चौदह-4-2016-500(16)/2015 तदिदनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार द्वितीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग/ अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in